न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 89/2020

अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

महेन्द्र प्रताप पुत्र श्री रामनारायण जाति जाट उम्र 38 वर्ष, निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर

— वादी

बनाम

1. रामनारायण पुत्र श्री गोविन्दराम जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तह. श्रीगंगानगर
2. शकीला {पुत्री श्री रामनारायण} पत्नी श्री रणजीत जाति जाट निवासी 64 आर बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

— प्रतिवादीगण

उपस्थित–	अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोशी	(वादी)
	अधिवक्ता श्री विजय कुमार भाटी	(प्रतिवादी–1, 2)
	पैरोकार राज	(प्रति.–3)

दिनांक 15.09.2020

–:: निर्णय ::–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार प्रतिवादी संख्या 1 रामनारायण, वादी के पिताजी, प्रतिवादी संख्या 2 वादी की बहन है। चक 6 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी इसम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 47/35 के मुरब्बा नम्बर 37 की कुल 2.530 है. नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक प्रतिवादी संख्या 1 रामनारायण पुत्र गोविन्दराम के नाम से दर्ज कागजात राज है एवं इसी चक 6 क्यू के संयुक्त खाता संख्या 16/12 के मुरब्बा नम्बर 52, 53 की कुल 3.036 है. नहरी कृषि भूमि में से वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 रामनारायण के नाम 2089/9108 हिस्सा यानि 0.696 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है एवं इसी चक 6 क्यू के संयुक्त खाता संख्या 23/25 के मुरब्बा नम्बर 46, 47 की कुल 3.353 है. नहरी कृषि भूमि में से वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 806/10059 हिस्सा यानि 0.269 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है एवं इसी चक 6 क्यू के

16/12, 23/25, 48/25 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संलग्न वाद पत्र है। चक 7 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के संयुक्त खाता संख्या 23/11 के मुरब्बा नम्बर 10 की कुल 2.961 है. कृषि भूमि में से 4073/8883 हिस्सा यानि 1.358 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 रामनारायण के नाम से दर्ज कागजात राज है। चक 7 क्यू के खाता संख्या 23/11 के जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संलग्न वाद पत्र है। उक्त वर्णित कृषि भूमि वादी के दादाजी गोविन्दराम पुत्र कान्हाराम के स्वर्गवास होने के बाद चक 7 क्यू की कृषि भूमि विरास्तन नामान्तरण संख्या 120 दिनांक 06/06/1999 एवं चक 6 क्यू की कृषि भूमि विरास्त नामान्तरण संख्या 116 दिनांक 06/06/1999 के द्वारा विरास्त में प्राप्त हुई है एवं 2.530 है. कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विरास्तन प्राप्त कृषि भूमि की आय से खरीद की गई है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि विरास्तन कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से ही हक व अधिकार निहीत है जिसे वादी घोषित करवाने का अधिकारी है। चक 6 क्यू के विरास्तन नामान्तरण संख्या 120 दिनांक 06/06/1999 एवं चक 7 क्यू के विरास्तन नामान्तरण संख्या 116 दिनांक 06/06/1999 की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न वाद पत्र है। प्रतिवादी संख्या 1 के एक पुत्र (महेन्द्र प्रताप {वादी}) है तथा एक पुत्री (शकीला (प्रतिवादी संख्या 2) है इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई सन्तान नहीं है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने पारस्परिक सहमति से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि का निम्न प्रकार घरेलू बंटवारा किया हुआ है :–

बंटवारा अनुसार रकबा प्राप्तकर्ता	रकबा का विवरण
महेन्द्र प्रताप पुत्र रामनारायण जाति जाट निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)	चक 6 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 47/35 के मुरब्बा नम्बर 37 की कुल 2.530 है. नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक चक 6 क्यू के संयुक्त खाता संख्या 48/25 के मुरब्बा नम्बर 46 की कुल 3.098 है. कृषि भूमि में से रामनारायण पुत्र गोविन्दराम के नाम दर्ज 1281/1549 हिस्सा यानि 2.562 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 2.000 है. कृषि भूमि

रामनारायण पुत्र श्री गोविन्दराम जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तह. व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)	चक 6 क्यू के संयुक्त खाता संख्या 48/25 के मुरब्बा नम्बर 46 की कुल 3.098 है. कृषि भूमि में से रामनारायण पुत्र गोविन्दराम के नाम दर्ज 1281/1549 हिस्सा यानि 2.562 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 0.562 है. कृषि भूमि
	चक 6 क्यू के संयुक्त खाता संख्या 16/12 के मुरब्बा नम्बर 52, 53 की कुल 3.036 है. नहरी कृषि भूमि में से वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 रामनारायण के नाम 2089/9108 हिस्सा यानि 0.696 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक
	चक 6 क्यू के संयुक्त खाता संख्या 23/25 के मुरब्बा नम्बर 46, 47 की कुल 3.353 है. नहरी कृषि भूमि में से वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 के

	जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के संयुक्त खाता संख्या 23/11 के मुरब्बा नम्बर 10 की कुल 2.961 है. कृषि भूमि में से 4073/8883 हिस्सा यानि 1.358 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 घरेलू बंटवारा द्वारा अपने अपने हिस्सा में आई उक्त वर्णित कृषि भूमि के काबिज काश्त है। इस घरेलू बंटवारा अनुसार वादी को प्राप्त हुई भूमि को घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाना जरूरी है। उक्त विभाजन में आई भूमि वादी के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादी को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है । वादी उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकता है, ना ही इस पर कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा, डिग्गी, कैटल शैड, पैक हाउस आदि की सुविधा ले सकता है। प्रतिवादी संख्या 1 उक्त रकबा को गलत तौर से मुन्तकिल करने की कोशिश में है इसलिए वादी अपने हिस्से में आई कृषि भूमि को, अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादी ने, प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 30/06/2020 को, वादी को बंटवारा में दी गई कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतू प्रतिवादी संख्या 3 से सम्पर्क किया तो उन द्वारा श्रीमान [illegible] न्यायालय में वाद पत्र पेश कर विभाजन घोषित करवाने की हिदायत दी गई लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गया है । यही बिनाय मुखासमत है। वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर वाद निम्न प्रकार से डिक्री किये जाने का निवेदन किया :–

(क). कि प्रतिवादी सं. 1 रामनारायण पुत्र श्री गोविन्दराम के नाम दर्ज चक 6 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 47/35 के मुरब्बा नम्बर 37 की कुल 2.530 है. नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक को एवं चक 6 क्यू के संयुक्त खाता संख्या 48/25 के मुरब्बा नम्बर 46 की कुल 3.098 है. कृषि भूमि में से रामनारायण पुत्र गोविन्दराम के नाम दर्ज 1281/1549 हिस्सा यानि 2.562 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 2.000 है. कृषि भूमि वादी की घोषित की जावे ।

(ख). उक्त बंटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे तथा अलग–अलग लगान कायम किया जावे।

(ग). वादी को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

(घ). कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी के हित में समझे दिलवाया जावे ।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा दिनांक 14.09.2020 को अपसी सहमति के आधार पर राजीनामा पेश किया गया जिसके मुताबिक उक्त अनवानी शीर्षक दावा में पक्षकारान का पंचायत वा मौतबिरान लोगो ने राजीनामा करवा दिया है तथा पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपनी स्वेच्छा से राजीनामा कर लिया है। पक्षकारान का अब कोई मनमुटाव नहीं रहा है। घरेलू बंटवारानुसार प्रतिवादी सं. 1 रामनारायण पुत्र श्री गोविन्दराम के नाम दर्ज चक 6 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 47/35 के मुरब्बा नम्बर 37 की कुल 2.530 है. नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक को एवं चक 7 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के संयुक्त खाता संख्या 23/11 के मुरब्बा नम्बर 10 की कुल 2.961 है. कृषि भूमि में से 4073/8883 हिस्सा यानि 1.358 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1.265 है. कृषि भूमि वादी महेन्द्र प्रताप पुत्र श्री रामनारायण जाति जाट निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) को बंटवारा में दी गई है। अतः उक्त राजीनामानुसार चक 6 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 47/35 के मुरब्बा नम्बर 37 की कुल 2.530 है. नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक को एवं चक 7 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के संयुक्त खाता संख्या 23/11 के मुरब्बा नम्बर 10 की कुल 2.961 है. कृषि भूमि में से 4073/8883 हिस्सा यानि 1.358 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1.265 है. कृषि भूमि वादी महेन्द्र प्रताप पुत्र श्री रामनारायण जाति जाट निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) को घोषित की जाकर डिक्री जारी कर दी जावे व उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान उसमें पूर्णतः सहमत है। तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वाद पत्र में प्रस्तुत शपथ पत्र अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 समस्त जायज वारिसान पक्षकार के रूप में संयोजित है। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 का कुर्सीनामा व प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नी (वादी की माता) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादी संख्या 1 (वादी के पिता) के नाम संयुक्त खाता में जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 ग्राम 6 क्यू. पटवार हल्का दौलतपुरा भू.अ.नि. क्षेत्र दौलतपुरा खाता संख्या 47/35, जमाबंदी सम्वत 2070–2073 ग्राम 6 क्यू.

खाता संख्या 23/25, जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 ग्राम 6 क्यू. पटवार हल्का दौलतपुरा भू.अ.नि. क्षेत्र दौलतपुरा खाता संख्या 48/25, जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 ग्राम 7 क्यू. पटवार हल्का दौलतपुरा भू.अ.नि. क्षेत्र दौलतपुरा खाता संख्या 23/11, वादी द्वारा अपने दादा गोविन्दराम से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम विरास्तन इन्ताकल जमाबंदी पटवार हल्का दौलतपुरा भू.अ.नि. क्षेत्र दौलतपुरा खाता संख्या 120/6 की प्रमाणित फोटो प्रति, इन्ताकल जमाबंदी पटवार हल्का दौलतपुरा भू.अ.नि. क्षेत्र दौलतपुरा खाता संख्या 116/45 की प्रमाणित फोटो प्रति, नामान्तकरण पंजीका ग्राम पंचायत 6 क्यू खाता संख्या 6/18 की प्रमाणित फोटो प्रति पेश की। उक्त दस्तावेजात के आधार वादग्रस्त भूमि पैतृक होना सिद्ध होता है।

वाद पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है एवं पक्षकारान मध्य राजीनामा हो चुका है।

"राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है।"

–:: आदेश ::–

अतः पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा के आधार वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी महेन्द्र प्रताप पुत्र रामनारायण को चक 6 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 47/35 के मुरब्बा नम्बर 37 की कुल 2.530 है. नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक एवं चक 7 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के संयुक्त खाता संख्या 23/11 के मुरब्बा नम्बर 10 की कुल 2.961 है. कृषि भूमि में से 4073/8883 हिस्सा यानि 1.358 हैक. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1.265 है. कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिकी हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 15.09.2020 को जारी किया गया।